न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2025 / 361
मुकदमा नम्बर 108 / 2025 दायर दिनांक–03.07.2025

1. गिरधारी
2. धूडाराम
3. राजेन्द्र कुमार पुत्रान श्रवण
4. परमेश्वरी पत्नी श्रवण
5. बिमला
6. सन्तोष पुत्रियां श्रवण, जाति मेघवंशी, निवासी ग्राम कारी, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

...........आवेदकगण

बनाम

1. रणवीर सिंह
2. विजेन्द्र सिंह पुत्रान हरिबक्स जाति जाट निवासीगण ग्राम कारी,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
3. महीपाल सिंह पुत्र श्रवण जाति मेघवंशी निवासी ग्राम कारी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
4. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारी, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
5. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

..........अनावेदकगण

<u>प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वकील आवेदक–श्री विजेन्द्र सिंह दूत
अनावेदकगण 1 व 2 – श्री विजेन्द्र सिंह जाखड
अनावेदकगण 3 व 4 – एक पक्षीय
अनावेदक सं. 5 – पैरो. राज.
अनावेदक सं. 6 व 7 – श्री विजेन्द्र सिंह दूत

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

:—निर्णय—:

दिनांकः—18/07/2025

यह प्रा0 पत्र आवेदकगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम कारी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 245 रकबा 2.86 है0 व ख.नं. 1787/285 रकबा 0.10 है0 जिसको संलग्न नजरी नक्शे मे ए बिन्दू से दिखाया गया है में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 6 व 7 की कृषि भूमि ख.नं. 246 रकबा 1.77 है0 के पूर्वी—दक्षिणी कॉर्नर से चलकर उसके आगे पूर्व दिशा में मुडकर बी बिन्दू से दिखाये गई अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की कृषि भूमि ख.नं. 285 रकबा 1.53 है0 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे होकर क, ख, ग, बिन्दूओं का रास्ता x से y बिन्दू के सार्वजनिक रास्ते तक 4 मीटर चौडा रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की जितनी कृषि भूमि लम्बाई चौडाई के अनुसार रास्ते मे आती है जिससे दोगूनी कृषि भूमि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को दी जाकर उसके पक्ष में रिकार्ड दर्ज किया जावे। उक्त शर्त व सहमति के आधार पर उक्त प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रा. पत्र में तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 3 व 4 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 6 व 7 ने इकबालिया जवाब पेश किया। अनाबेदक सं. 5 की और से पैरो. राज. उपस्थित तथा रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2025/118 दिनांक 16.07.2025 पेश की गई। रिपोर्ट अनुसार भूमि ख.नं. 245 में आवागमन हेतु चाहे गये रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। खसरा नं. 245 में आवागमन हेतु सबसे लघुतम रास्ता ख.नं. 285 में से ही लगता है। वांच्छित रास्ता खसरा नं. 285 में लम्बाई 158 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 632 वर्ग मीटर तथा खसरा नं. 246 मे लम्बाई 20 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 80 वर्ग मीटर बनती है।

प्रकरण में आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 व 2 ने एक लिखित राजीनामा इस कदर पेश किया कि, खसरा नं. 285 में से रास्ते के लिये 632 वर्ग मीटर भूमि दे दी गई है, जिसको अप्रार्थी सं. 1 व 2 की उक्त भूमि में से कम कर दी जावे। उक्त रास्ते मे गई भूमि 632 वर्ग मीटर की एवज में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी भूमि से डेड गुणा भूमि यानि 1000 वर्ग मीटर भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को दे दी है जो इनकी खातेदारी मे दर्ज कर समायोजित कर दी जावे। राजीनामा न्यायालय हाजा में पढकर सुनाया गया जिसे सहमत होने पर अपने—अपने हस्ताक्षर किये तथा वकुलान ने अपने पक्षकारों की पहचान की। राजीनामा अंकित इबारत अनुसार स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया गया।

प्रकरण आपसी सहमति का होने से मुताबिक राजीनामा व रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ राजस्व/2025/118 दिनांक 16.07.2025 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कारी की सरहद में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 245 में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नं. 285 में लम्बाई 158 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 632 वर्ग मीटर तथा खसरा नं. 246 मे लम्बाई 20 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 80 वर्ग मीटर मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट व उसके संलग्न नजरी नक्शे अनुसार गै.मु. सिवायक रास्ता मौके पर कायम किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार ही मुताबिक राजीनामा खसरा नं. 285 में रास्ते में जाने वाली 632 वर्ग मीटर भूमि की एवज में 1000 वर्ग मीटर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1787/285 रकबा 0.10 है0 भूमि मे से कम कर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की खातेदारी मे दर्ज कर समायोजित कर दी जावे। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2025/118 दिनांक 16.07.2025 मय नजरी नक्शा तथा पक्षकारों द्वारा दिनांक 16.07.2025 को प्रस्तुत राजीनामा उक्त आदेश का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश मौके पर रास्ता कायम करवाया जाकर, राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर दिया जावे तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर दिया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18/07/2025 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू